न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 34/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00160

उनवान

श्रीमती प्रेमवती पत्नि भगवान सिंह जाति जाटव निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति रूपवास जिला भरतपुर।
2. श्रीमती विमला देवी पत्नि रमेशचन्द जाति वैश्य निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत रूदावल।

.....रेस्पोंडेंट ।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 15.05.18 प्र.संख्या 157/2005 उनवानी प्रेमवती बनाम सरकार आदि।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री विजय सिंह झारौटिया उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक–09.05.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 250, 252 वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में स्थित है। वादी/अपीलाण्ट ने उक्त विवादित आराजी दिनांक 22.12.2010 को उसके पूर्व खातेदार राधेश्याम पुत्र खुनखुन व विरमा देवी पत्नि खुनखुन जाति वैश्य निवासी रूदावल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है एवं तभी से वादी/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर

वहैसियत खातेदार काश्तकार एवं काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण/रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 विमला देवी इस समय ग्राम पंचायत रूदावल की सरपंच है जो वादी/अपीलाण्ट से रंजिश रखती है। वह वादी/अपीलाण्ट की उक्त आराजी में से जबरन कच्ची सडक डालना चाहती हैं। अतः प्रतिवादी/रैस्पो0 अपनी उपरोक्त धमकी में कामयाब हो गये तो, वादी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर, पक्षकारो को बिना सूचना दिये उनकी बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही विवादित आराजी में से पूर्व में कोई पुराना रास्ता है। रैस्पो0 संख्या 02 चालाक किस्म का व्यक्ति है और सरपंच पद पर तैनात है अतः वह अपने पद का प्रभाव दिखाते हुये, अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी में से होकर जबरन रास्ता निकालना चाहता है। रैस्पो0 को अपीलाण्ट की खातेदारी में से रास्ता निकालने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी में से होकर पूर्व में पुराना रास्ता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 250, 252 पूर्व से ही राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर सरकारी जमीन में दर्ज हैं तथा मौके पर सैकडो साल पुराना नक्शा मुताबिक दोनों खसरा नम्बरो के मध्य आम रास्ता कायम है। उक्त आम रास्ते पर ग्राम पंचायत नरेगा स्कीम आदि से सडक ग्रेवल डलवाना चाहती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से सम्पूर्ण विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है, जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। अपीलाण्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित आराजी में पूर्व से कोई रास्ता नहीं होना कथन करते हुये, रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का दावा करते हैं। परन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड में उक्त विवादित आराजी सरकारी जमीन में दर्ज है तथा मौके पर विवादित भूमि के मध्य आम रास्ता कायम है, जो सार्वजनिक उपयोग की है एवं किसी एक व्यक्ति के हितार्थ, सार्वजनिक सुविधा को बंधक नही बनाया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियों के निष्कर्ष में, हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश शेष नही पाते हैं। लिहाजा हम अपील खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 15.05.2018 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official